परविहन वाहनों के लयि LMV लाइसेंस

[स्रोत: द हिंदू](#)

हाल ही में, **सर्वोच्च न्यायालय ने** फैसला सुनाया कि **हल्के मोटर वाहन (LMV)** का **ड्राइवगि लाइसेंस** धारक व्यक्ति **7,500 कलिोग्राम तक के वज़न** वाला **परविहन वाहन चला सकते हैं**।

- सर्वोच्च न्यायालय **ने अपने वर्ष 2017 के** फैसले को बरकरार रखा, जसिमें **हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारकों को 7,500 कलिोग्राम से कम** सकल वजन वाले परविहन वाहन चलाने की अनुमति दी गई थी।
  - वर्ष 2017 के नरि्णय को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लयिा गया, जसिके परणािमस्वरूप **मोटर वाहन नयिम, 2017** में संशोधन कयिा गया।
- **मोटर वाहन अधनियिम, 1988** की **धारा 2(21)** के अनुसार, हल्का मोटर वाहन एक **परविहन वाहन, ओमनीबस, मोटर कार, ट्रैक्टर या रोड-रोलर है** जसिका सकल वाहन भार या बनिा लदान का भार **7,500 कलिोग्राम से अधकि नहीं है।**
- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में बीमा कम्पनयिों द्वारा हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारक व्यक्तयिों द्वारा चलाए जा रहे परविहन वाहनों से संबंधति दुर्घटनाओं में दावों को खारजि करने की प्रथा को चुनौती दी गई थी।

और पढ़ें: [मोटर वाहन (संशोधन) अधनियिम एवं सड़क सुरक्षा](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/lmv-licence-for-transport-vehicles